न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलालयादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 75 / 2025

उनवान

मंजू देवी सामरिया पत्नी रामचन्द्र सामरिया जाति खटीक निवासी सुभाष गंज, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मोहनी पुत्र रामकरण,
2. रवि पुत्र पूसा,
3. गोपी पुत्र रामकरण,
4. ममता पुत्री श्रवण,
5. राजू पुत्र श्रवण,
6. लादी पत्नि श्रवण,
7. बिना पत्नि जसराज,
8. शुभू पुत्र जसराज जाति भांबी मोतीपुरा नसीराबाद,
9. ग्यारसीलाल पुत्र हुक्मा जाति रेगर निवासी गाड़ी मौहल्ला नसीराबाद,
10. हरदयाल पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी रिसाला मण्डी नसीराबाद,
11. उप पंजीयक अधिकारी नसीराबाद
12. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 2, 9 व 10 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
11 व 12 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 23.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोतीपुरा प.म. मोतीपुरा में स्थित आराजी मूतनाजा वादी की क्रयशुदा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
273	1—17—0	687	0.93
264	2—18—10	682	0.47

उपरोक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 264 रकबा 2—18—10 एवं 273 रकबा 1—17—0 के तत्कालीन खातेदार गोपी, श्रवण, पूसा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 को वंर्किग खसरा नम्बर 264 रकबा [illegible] में से [illegible] भूमि दिनांक 27.09.2005 को बैचान की है। वंर्किग खसरा नम्बर 264 का 1/4 हिस्स[illegible] का 1/4 हिस्सा वादी को बैचान किया हैं गोपी प्रतिवादी संख्या 3 है [illegible] के जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ये 8 हैं। प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा [illegible] वंर्किग खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 687 रकबा 0.93 व 682 रकबा 0.47 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रति[illegible]संख्या 2 से 8 के

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नाम दर्ज कर दिया गया। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 682 रकबा 0.47 व 687 रकबा 0.93 में से 1/4 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के स्थान पर वादीको घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 9 व 10 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार ग्राम मोतीपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 264 रकबा 2–0–0 में से 2–0–0 की आराजी गोपी, श्रवण, पूसा पि. रामकरण ने प्रतिवादी संख्या 9 ग्यारसीलाल पुत्र हुक्माराम को दिनांक 25.09.2005 को बैचान कर दी। वंर्किग जमाबंदी में खसरा नम्बर 264 रामकरण व माग्या पि. रूपा के नाम खातेदारी दर्ज था। रामकरण के वारिसान का उक्त आराजी पर 1/2 हिस्सा निहित था। अर्थात वंर्किग खसरा नम्बर 264 रकबा 2–18–10 में से रामकरण के वारिसान का 1–9–05 हिस्सा ही था, जबकि उनके वारिसान द्वारा 2–0–0 भूमि का बैचान किया गया जो हिस्से से अधिक है। साथ ही विक्रय दिनांक को उक्त आराजी अविभाजित थी। विक्रेता को विशिष्ठ भू भाग बैचान का अधिकार नही था। जिस कारण उक्त विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नही की गयी। इसी प्रकार तत्कालीन खातेदार गोपी, श्रवण, पूसा पि0 रामकरण ने वंर्किग खसरा नम्बर 273 रकबा 1–17–0 व 264 रकबा 2–18–10 में 1/4 हिस्से का बैचान जरियें पंजीब, विक्रय पत्र दिनांक 19.07.2004 को कर दिया। प्रतिवादी संख्या 9 ने उक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 264 रकबा 2–0–0 में से 2–0–0 की आराजी गोपी, श्रवण, पूसा पि. रामकरण से दिनांक 25.090.2025 को क्रय की थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्कालीन खातेदार गोपी, श्रवण, पूसा पि0 रामकरण ने उक्त आराजी का विक्रय वादी व प्रतिवादी संख्या 9 को अलग–अलग विक्रय पत्र से अलग–अलग समय पर किया। किन्तु वादी ने उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 9 से पूर्व क्रय की थी। अतः वादी उक्त आराजी पर गोपी, श्रवण, पूसा पि0 रामकरण के 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रापत करने का अधिकार है। उसके बाद शेष रकबे के स्वामित्व का निर्धारण प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा हाजा न्यायालय मेंप्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 76/2025 ग्यारसीलाल बनाम मोहनी के निस्तारण के बाद होगा। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी गोपी, मोहनी पि. रामकरण, रवि पुत्र पूसा, श्रवण पि. रामकरण व अन्य व्यक्ति के हिस्से में दर्ज है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार द्वारा हाल खसरा नम्बर 687 रकबा 0.30 व 682 रकबा 0.47 में अपना 1/4 हिस्सा वादी को बैचान कर दिया है। वंर्किग खसरा नमबर 273 का रकबा 1–17–0 है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नक्बर [illegible] खातें में हाल खसरा नम्बर 687 का रकबा 0.93 है। उक्त विक्रय पत्र पंजी[illegible] है [illegible]सकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रकरण में कोई [illegible] प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। अ[illegible] व खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:30 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 682 रकबा 0.43 व 687 रकबा 0.30 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। जमाबंदी में दर्ज खातेदार गोपी पि. रामकरण, रवि पुत्र पूसा, श्रवण पि. रामकरण के स्थान पर उक्त रकबे के 1/4 हिस्से पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मंजू बनाम मोहनी

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 75/2025
पेश करने की दिनांक – 21.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई रणजीत रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम मोतीपुरा के हाल खसरा नम्बर 682 रकबा 0.43 व 687 रकबा 0.30 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। जमाबंदी में दर्ज खातेदार गोपी पि. रामकरण, रवि पुत्र पूसा, श्रवण पि. रामकरण के स्थान पर उक्त रकबे के 1/4 हिस्से पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:17:30 IST
Reason: SelfAttested